अति आवश्यक/तत्काल

कार्यालय जिलाधिकारी/जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, हरिद्वार।

पत्र संख्याः 5686/तेरह–आ0प्रब0–2017–18(उपकरण कय पत्रा0) /दिनांकः 09जून,2017

कार्यालय–ज्ञाप

जिलाधिकारी आदेश दिनांकः 07.06.2017 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष–2017–18 में आवंटित बजट के अन्तर्गत जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, हरिद्वार के उपयोगार्थ निम्नलिखित सूची के अनुसार कोटेशन के आधार पर उपकरण कय करने की स्वीकृति प्रदान की गई हैः–

S.No.	Name of Equipments & Specification	PAC	Fire	Forest	Police	Total	Rate	Grant Total(Approx)
1	Seat Harness UIAA/CE Certified, made of good strong material, load bearing capacity 1.5 tonn	2	8	-	-	10	3500.00	35,000.00
2	Body Harness UIAA/CE Certified, made of good strong material, load bearing capacity 1.5 tonn	2	8	-	-	10	3500.00	35,000.00
3	Zumar UIAA/CE Certified, aluminum alloy petzel		8	-	-	8	6500.00	52,000.00
4	Single Pully UIAA/CE Certified, breaking strength 32kn	-	8	-	-	8	1300.00	10,400.00
5	Double/Tandem Pully UIAA/CE Certified, breaking strength 32kn	-	8	-	-	8	4000.00	32,000.00
6	Descender UIAA/CE Certified	-	16	-	-	16	750.00	12,000.00
7	Canvas Mitton (Pair) Standard Quality & Size	-	24	-	4	28	300.00	8,400.00
8	Lifebuoy Standard Quality & Size	-	-	-	10	10	1600.00	16,000.00
9	Circular Saw (Iron, Steel Cutter)Cutting depth minimum 2.5 inch, battery operated	-	1	-	-	1	70,000.00	70,000.00
	Total							2,70,800.00

अतः जिलाधिकारी महोदय के उक्त आदेश के अनुपालन में उक्तानुसार उपकरण कय किये जाने हेतु दिनांक 23.06.2017 को दोपहर 01.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, उसी दिन अपराहन 03.00 बजे तक कलेक्ट्रेट कार्यालय रोशनाबाद के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के कक्ष में अपनी कोटेशन निम्नलिखित शर्तो के अनुसार प्रस्तुत कर-सकते हैं।

कोटेशन की शर्ते एवं प्रतिबन्ध

1– आपूर्ति किये गये उपकरण/सामग्री की गुणवत्ता संतोषजनक होनी चाहिए।

2– आपूर्ति किये गये उपकरणों की एक वर्ष की फ्री सर्विसिंग अल्पकालिक अवधि पर की जायेगी। एक वर्ष की अवधि के बाद धरोहर धनराशि वापस की जायेगी।

3– आपूर्ति किये जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता संतोषजनक एवं विज्ञप्ति के अनुरूप ही कोटेशन स्वीकार की जायेगी, इस हेतु उपकरण/सामग्री का नमूना कय समिति के के निरीक्षण हेतु कोटेशन प्रस्तुत करते समय प्रस्तुत करना होगा।

4– मान्य कोटेशनदाता/फर्म द्वारा उपकरण/सामग्री के दिखाये गये नमूनों के अनुसार गुणवत्ता एवं संतोषजनक उपकरण/सामग्री आपूर्ति करनी होगी न करने पर जमानत की धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर जिलाधिकारी को कय आदेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

5– निविदादाताओं को बिना किसी कारण बताये कोटेशन/कोटेशन प्रकिया को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कय समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

6– कोटेशनदाता/फर्मो द्वारा कोटेशन की शर्तो के अनुसार सूचना,अभिलेख एवं नमूना उपलब्ध न कराने पर उनके द्वारा प्रस्तुत कोटेशन स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

7– कोटेशन स्वीकृत होने पर कोटेशनदाता/फर्म द्वारा उपकरण/सामग्री के संस्तुत नमूनों के अनुसार आपूर्ति कय आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर स्वंय के व्यय पर जिला कार्यालय में आपूर्ति करनी होगी। उपकरणों की कार्यशीलता के परीक्षण के उपरान्त ही धनराशि का भुगतान सम्भव होगा। अन्यथा की दशा में धरोहर राशि सरकार के पक्ष मे जब्त समझी जायेगी।

9– पंजीकृत इच्छुक फर्मो द्वारा कोटेशन सीलबंद लिफाफे में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व कार्यालय कलेक्ट्रेट हरिद्वार में दिनांक 23.06.2017 को समय 01:00बजे तक प्रस्तुत/प्राप्त की जायेगी। नियत तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त कोटेशन प्रकरणों पर विचार नहीं किया जायेगा।

10– स्वीकृत कोटेशनदाता फर्म के द्वारा 2% Performance security जिलाधिकारी, हरिद्वार के पक्ष में निर्गत, हरिद्वार शाखा पर देय Demand Draft के रूप में जमा करानी होगा।

11– T.D.S. Deduction will be applicable as per rule.

12– कोटेशनदाता फर्म के द्वारा PAN No./TIN No./Firm/Registration की सत्यापित प्रमाण पत्र की प्रति कोटेशन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

13–. कोटेशनदाता फर्मो के द्वारा प्रस्तुत कोटेशन की न्यूनतम दरों के अनुसार जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार के अनुमोदन उपरान्त ही आपूर्ति आदेश निर्गत किया जायेगा।

14– अपील सम्बन्धी निर्णय का अधिकार जिलाधिकारी महोदय को होगा, उनका निर्णय अन्तिम होगा।

(डा0 ललित नारायण मिश्र)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
हरिद्वार।